दृष्टि बाधित बच्चे स्मार्ट फोन से करेंगे अपनी पढ़ाई

» 16 विद्यार्थियों को मिला स्मार्ट फोन » अब बच्चों को पढ़ने में होगी आसानी

न्याय साक्षी/रायगढ़। राज्य शासन के दिशा-निर्देश में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत बाह्य संस्था एम जंक्शन कोलकता के सहयोग से रायगढ़ जिले में स्मार्ट फोन के जरिए दृष्टि बाधित बच्चों को पढ़ाई में आसानी के लिए स्मार्ट फोन से अध्यन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रायगढ़ के 16 दृष्टि बाधित बच्चों को स्मार्ट फोन दिया गया।

गत दिवस राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एस.सी.ई.आर.टी.में दृष्टि बाधित बच्चों को स्मार्ट फोन में अध्ययन सामग्री प्रदान करने तथा उसका किस प्रकार उपयोग किया जाना इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर पुसौर विकास खण्ड की बीआरपी श्रीमती शांति ठाकुर ने बताया कि कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के दृष्टि बाधित बच्चों को स्मार्ट फोन के जरिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। ताकि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उनका बौद्धिक क्षमता का विकास किया जा सके। दृष्टि बाधित बच्चों को स्मार्ट फोन से पढने् के लिए सहयोग घरघोड़ा विकास की बीआरपी श्रीमती सुमन्ना दत्ता और रायगढ़ विकास के बीआरपी सत्य प्रकाश पैकरा विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

रायगढ़ जिले के 16 दृष्टि बाधित बच्चों को स्मार्ट फोन दिया गया है।

इनमें शासकीय हाई स्कूल बोजिला के कक्षा 12 वीं विज्ञान के छात्र महेश राम राठिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल घरघोड़ा के कक्षा 12वी कृषि संकाय के छात्र-ज्वाला प्रसाद तथा उसी विद्यालय के 12वीं के छात्र अरूण कुमार पैंकरा, शास.उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुडुमकेला कला संकाय गोविंद दास इसी प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छर्राटागर 9वीं के दृष्टि बाधित छात्र संजय सिदार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोण्डका 12 वीं विज्ञान के छात्रा मधु सोनी, शासकीय हाई स्कूल खम्हार की कक्षा 11वीं छात्रा कुसुम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरिया 9वीं छात्रा रेशमा सिदार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औरदा 9वीं छात्रा निर्मला, उसी विद्यालय के 10वीं के छात्र सुभाष यादव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या रायगढ़ के 12वीं की छात्रा राखी गुप्ता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदेली 10 वीं की छात्रा प्रियंका बघेल, 10वीं की छात्रा सरोज निषाद, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ीमल नगर 11वीं छात्रा तेजमति राठिया,सुनीता यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोईंग 11वीं की छात्रा पायल गुप्ता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ीमल नगर के 9वीं के छात्र ऋषिकुमार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उरबा के कक्षा 10वी छात्र चंद्रभान, इसी प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराईपाली के कक्षा 12वी के दृष्टि बाधित छात्र बुद्धेश्वर खडिया शामिल हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

युवती के साथ दुष्कर्म जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कापू में दिनांक 11.02.2020 को महिला द्वारा उसकी 09 वर्षीय बालिका के साथ पत्थलगांव का शेखर सारथी द्वारा बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। प्रार्थीया ने बातायी कि दिनांक 09.02.2020 के सुबह दोनो पति-पत्नी पहाड पत्थर तोड़ने गये थे, घर में इसकी लड़की अकेली थी, दोपहर करीब 14:30 बजे घर आने पर बालिका बतायी कि शिवपुर का शेखर सारथी घर आया था जो खेलने के बहाने गोद में उठाया और कपड़ा उतारकर गंदा काम किया है। घटना की जानकारी मिलने पर घर में सलाह मशवीरा कर प्रार्थीया रिपोर्ट दर्ज करायी, रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना कापू में अप.क्र. 07/2020 धारा 376 भादंवि 4, 6 पोक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी फरार है, पतासाजी की जा रही है।

शराबी पति से प्रताडि्त महिला ने किया था आत्मदाह, पति पर जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया के मर्ग क्रमांक 129/19 धारा 174 जा.फौ. की जांच दौरान मृतिका श्रीमती अल्पना भारद्वाज (28 साल) के वारिसान एवं गवाहन से पूछताछ कर कथन लिया गया तथा मृतिका श्रीमती अल्पना भारद्वाज के शव का पी.एम. रिपोर्ट, घटनास्थल निरीक्षण, शव पंचनामा कार्यवाही से पाया गया कि मृतिका श्रीमती अल्पना भारद्वाज अपने पति श्रीराम भारद्वाज के शराब पीकर झगड़ा, मारपीट करने के कारण प्रताड़ित थी जो घटना दिनांक 16.11.19 को घर के परछी में घर में रखे मिट्टी तेल को बदन में डालकर आग लगाकर जल गई जिसे ईलाज हेतु के.जी.एच. रायगढ में भर्ती किये थे कि ईलाज दौरान दिनांक 19.11.19 को फौत कर गई, जांच में आरोपी श्रीराम भारद्वाज पिता तीजराम भारद्वाज उम्र 38 वर्ष निवासी चारपारा थाना खरसिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 77/2020 धारा 306 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

स्थाई वारंट तामिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। दिनांक 12.02.22020 को पुलिस चौकी जूटमिल व घरघोड़ा पुलिस द्वारा स्थाई वारंट तामिल किए गए हैं। पुलिस चौकी जूटमिल द्वारा चोरी के फरार स्थाई वारंटी प्रदीप कुमार महंत पिता सेतराम महंत उम्र 20 वर्ष निवासी अमापाली गढउमरिया चौकी जूटमिल का स्थाई वारंट तामिल न्यायालय पेश किया गया। घरघोड़ा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में जारी स्थाई वारंट आरोपी रंजीत कुमार राठिया पिता सुखराम राठिया निवासी ढोरम थाना घरघोड़ा का स्थाई वारंट तामील करते हुए आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है।

जनपद पंचायतों में रिक्त विभिन्न पदों के दावा-आपत्ति उपरांत सूची का प्रकाशन

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना (बीपीआरसी) अंतर्गत जिले के जनपद पंचायतों में संकाय सदस्य, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्र एवं अपात्र की सूची तैयार कर दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया था। प्राप्त दावा-आपत्ति का चयन समिति द्वारा निराकरण उपरांत सूची का प्रकाशन किया गया है। आवेदक जिला पंचायत रायगढ़ के सूचना पटल एवं एनआईसी के वेबसाईट www.raigarh.gov.in पर अवलोकन कर सकते है।

प्राकृतिक आपदा के तहत 2 व्यक्तियों की असामायिक मृत्यु

» वारिसानों के लिए सहायता राशि स्वीकृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। खरसिया अनुविभाग अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से 2 व्यक्तियों की असामायिक मृत्यु हो गई। कलेक्टर रायगढ़ द्वारा एसडीएम खरसिया की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के तहसील खरसिया के ग्राम-सोण्डका निवासी श्रीमती बसंती की 31 अगस्त 2018 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पति को 4 लाख रुपए तथा तहसील खरसिया के ग्राम-रक्शापाली निवासी द्रौपदी यादव की 16 मई 2017 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति शिवप्रसाद यादव को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

दहेज के नाम पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पुसौर में आवेदिका नेहा उर्फ गंगा पटेल पति संजय पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम जोगीतराई थाना पुसौर द्वारा उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा दहेज के नाम पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किये जाने के संबंध में दिये गये आवेदन पत्र की जांच पर पीडिता के पति एवं अन्य लोगों पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

आवेदिका एवं गवाह अपने कथन में बताये कि जोगीतराई निवासी आवेदिका का पति संजय पटेल, सास गंगा पटेल, ससुर प्रेमशंकर पटेल के द्वारा आवेदिका को दहेज के रूप में 04 लाख रूपये एवं खेत नही लाने के संबंध में मानसिक प्रताडित करना पाया गया। शिकायत जांच उपरांत अनावेदक संजय पटेल, प्रेमशंकर पटेल, गंगा पटेल साकिनान जोगीतराई थाना पुसौर के विरूध्द थाना पुसौर में अप.क्र. 20/2020 धारा 498 अ 34 ता0हि0 पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

शादी का प्रलोभन देकर किया दुष्कर्म अपराध दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोसीर में दिनांक 10.02.2020 को 15 वर्षीय बालिका अपने परिजनों के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि 2-3 माह पूर्व एक अंजान नम्बर से एक लड़के का इसके मोबाईल पर कॉल आया, उसने नवापारा कोसीर का कृष्णा साहू नाम बताया। दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से मोबाईल पर बातचीत, चैटिंग करते थे। दिनांक 09.02.2020 को कृष्णा साहू लड़की को कॉलकर शिवरीनारायण मेला देखने जायेंगे कहकर उसके घर के पास शाम को बाईक लेकर आया और बालिका को अपने दोस्त के साथ मोटर सायकल में बिठाकर ले गया, रास्ते में दहिदा और मल्दा के बीच मोटरसाइकिल रोककर कृष्णा साहु बालिका को खेत में ले जाकर शादी करने का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया फिर वहां से तीनों शिवरीनारायण गए जहां एक गार्डन में रात्रि को भी कृष्णा साहु बालिका के साथ दुष्कर्म किया और सुबह तीनों बाइक में वापस सरसीवा बस स्टैंड आए।उसी समय बालिका के मोबाइल पर गांव के चचेरे भाई का कॉल आया कॉल को कृष्णा साहू रिसीव कर बोला कि लड़की बस स्टैंड के पास खड़ी है आकर ले जाओ और उसने बालिका को तुमसे शादी नहीं करूंगा कहकर बालिका को बस स्टैंड में छोड़कर चला गया। बालिका के रिपोर्ट पर थाना कोसीर में आरोपी कृष्णा साहु के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/2020 धारा 363, 366, 376 भादवि 4, 6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी फरार है, पतासाजी की जा रही है।

जिला स्तरीय मैराथन दौड़ आयोजित

» लैलूंगा की कशिला एवं रायगढ़ के प्रदीप रहे प्रथम स्थान पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आज रायगढ़ में जिला स्तरीय स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रातः 7.30 बजे डिग्री कालेज के सामने से प्रारंभ हुई और इस मैराथन दौड़ को जनपद सीईओ सागर सिंह ने हरी झण्डी दिखाई। पुरूष वर्ग के लिए 20 कि.मी. एवं महिला वर्ग के लिए 10 कि.मी. की दूरी निर्धारित थी। सभी विजेता खिलाडि़यों को नगद राशि से पुरस्कृत किया गया।

सहायक संचालक खेल युवा कल्याण विभाग रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला वर्ग में लैलूंगा की कशिला भगत प्रथम स्थान पर रही। इसी तरह द्वितीय-अमिता राठिया धरमजयगढ़, तृतीय-पूजा सिदार सारंगढ़, चतुर्थ-ज्योति किरण धरमजयगढ़, पंचम-रेमन राठिया धरमजयगढ़, छठवां-दीपकुंवर धरमजयगढ़, सातवां-शांति खलखो धरमजयगढ़, आठवां-अनिता सिदार लैलूंगा, नौवां-भुनेश्वरी धरमजयगढ़ एवं दसवें स्थान पर शशि एक्का रायगढ़ रही।

पुरूष वर्ग में पुरूष वर्ग में रायगढ़ के प्रदीप केरकेट्टा प्रथम स्थान पर रहे। इसी तरह द्वितीय-रामचंद्र लैलूंगा, तृतीय-किशन सारंगढ़, चतुर्थ-केलवीन तिर्की धरमजयगढ़, पंचम-कामेश्वर सारंगढ़, छठवां-धनेश कुमार पुसौर, सातवां-राकेश सेवक सारंगढ़, आठवां-विजय तमनार, नौवां-हरिश सारंगढ़ एवं लैलूंगा के महावीर दसवें स्थान पर रहे। इस अवसर पर देवेन्द्र मिश्रा, रामदीन गुप्ता, प्रदीप साहू, दिलभंजन सिंह, जफरउल्ला सिद्धिकी, श्रीमती विनीता पाणी, मुकेश चटर्जी, चंद्रमणि गुप्ता, विनोद पटेल, अनूप टोप्पो, खान, सत्यजीत घोष, प्रमोद यादव, हर्ष अग्रवाल, लक्ष्मी सिदार व छबीलाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

उत्कृष्ट कार्य के लिए रायगढ़ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पंचायत के रायगढ़ आरसेटी (रूरल सेल्फ एम्पलाईमेन्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) को कोलकाता में बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड से सीजीएम एसबीआई की ओर से सम्मानित किया गया। रायगढ़ की ओर से आरसेटी के डायरेक्टर श्री बालमुचु ने यह सम्मान प्राप्त किया।

उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत रायगढ़ में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के अंतर्गत आजीविका संवर्धन प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी, स्वरोजगार अपनाने, प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करने, बेस्ट क्रेडिट लिंकेज, 80 प्रतिशत सेटलमेंट, 56 प्रतिशत क्रेडिट लिंकेज, एफएलसीआरपी प्रशिक्षण, बैंक सखी प्रशिक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश भोपाल रीजन अंतर्गत 24 आरसेटी संचालित है, जिनमें से रायगढ़ आरसेटी को चयनित किया गया।

सड़क दुर्घटना में तीन व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु

» वारिसानों के लिए सहायता राशि स्वीकृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत 3 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। एसडीएम रायगढ़ द्वारा तहसीलदार पुसौर की अनुशंसा पर मृतक के वारिसानों को 25-25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पुसौर के ग्राम-झारमुड़ा निवासी बिरेन्द्र कुमार गढ़तिया की 11 दिसम्बर 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नि दामिनी गुप्ता को 25 हजार रुपए, तहसील डभरा जिला-जांजगीर के भोला दास महंत की 16 जुलाई 2018 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता गोपाल दास महंत को 25 हजार रुपए तथा रामनगर (सरसींवा)जिला-बलौदा बाजार के बीरेन्द्र चौहान की 8 मई 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता मिलन चौहान को 25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोपी को 15 साल की सजा व 100000 का अर्थदंड

न्याय साक्षी/रायगढ़। माननीय विशेष न्यायाधीश दिनांक 11.02.2020 को (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट) रायगढ़ विवेक कुमार तिवारी के न्यायालय में थाना सरिया के अपराध क्रमांक 33/2018 के आरोपी मुकेश कुमार भारती पिता साधु राम उम्र 21 वर्ष निवासी सोब्नथा थाना नरहो, जिला बलिया (पी) को एन.डी.पी.एस. मामले में दोषसिद्ध पाते हुये 15 साल की सजा सनाई गई है। सरिया पुलिस द्वारा बोलेरो वाहन क्रमांक जेएच 20-सी/7162 में 84 पैकेट गांजा वजन लगभग 100 किलोग्राम को दिनांक 20.02.2018 को ओडिशा के रास्ते कंचनपुर से लाते समय पकड़ा गया था। उपरोक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सरिया उपनिरीक्षक वीरेंद्र चंद्रा द्वारा की गई है।

जिला पंचायत रायगढ़ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 14 फरवरी

» समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 13 फरवरी को

» जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए कार्यक्रम अनुसूची जारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पंचायत रायगढ़ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 14 फरवरी 2020 को किया जाएगा। इसी तरह समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 13 फरवरी 2020 को निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत एवं समस्त जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए कार्यक्रम अनुसूची जारी की गई है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष के लिए नाम निर्देशन प्रस्तुतीकरण नियत तिथि में प्रात:10 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक, नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं वैध पाये गये नाम निर्देशन पत्रों का प्रकाशन पूर्वान्ह 11 बजे से पूर्वान्ह 11.15 बजे तक, नाम निर्देशन की वापसी पूर्वान्ह 11.15 बजे से पूर्वान्ह 11.30 बजे तक, नाम निर्देशन वापसी पश्चात विधिमान्यता नाम निर्देशित अभ्यर्थियों के आधार पर मतपत्रों को तैयार पूर्वान्ह 11.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। मतदान (गुप्त) यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12 बजे से 12.30 बजे तक, मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात एवं परिणाम की घोषणा मतदान के तुरंत पश्चात किया जाएगा।

जिला पंचायत रायगढ़ के उपाध्यक्ष एवं समस्त जनपद पंचायतों के उपाध्यक्ष के लिए नाम निर्देशन प्रस्तुतीकरण नियत तिथि में दोपहर 2 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं वैध पाये गये नाम निर्देशन पत्रों की प्रकाशन अपरान्ह 3 बजे से 3.15 बजे तक, नाम निर्देशन की वापसी अपरान्ह 3.15 बजे से 3.30 बजे तक, नाम निर्देशन वापसी पश्चात विधिमान्यता नाम निर्देशित अभ्यर्थियों के आधार पर मतपत्रों को तैयार अपरान्ह 3.30 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा।

मतदान (गुप्त) यदि आवश्यक हो तो सायं 4 से 4.30 बजे तक, मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात एवं परिणाम की घोषणा मतदान के तुरंत पश्चात किया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 28 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना कापू जिला-रायगढ़ अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 28 फरवरी 2020 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक आवेदिका नियत तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एकीकृत बाल विकास परियोजना कापू जिला-रायगढ़ में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

घर में बिना बताये नाबालिगों के कहीं चले जाने की रिपोर्ट

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतवाली, लैलूंगा एवं डोंगरीपाली में दिनांक 11.02.2020 को नाबालिग बच्चों द्वारा घर में बिना बताये कहीं चले जाने की रिपोर्ट परिजनों द्वारा दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 363 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कोतवाली थाना में महिला द्वारा उसकी लड़की उम्र 15 वर्ष 03 माह की दिनांक 11.02.2020 के सुबह घर में बिना बताये कहीं चली गई है, बालिका का मोबाईल भी बंद है।

दूसरी घटना थाना लैलूंगा में 14 वर्षीय बालक दिनांक 29.01.2020 को घर से स्कूल जाने के नाम पर निकला है परन्तु बालक स्कूल न जाकर कहीं चला गया है। बालक को उसके परिजन काफी तलाश किये पता नहीं चलने पर दिनांक 11.02.2020 को थाना लैलूंगा में अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। वहीं डोंगरीपाली में 16 वर्षीय बालिका के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि दिनांक 07/02/2020 को बैल चराने गया था करीब 3 बजे दोपहर वापस घर आया तो पत्नी बताई की करीब 01 बजे दिन में वह तालाब नहाने गई थी। उस वक्त लड़की घर पर थी, आधा घण्टें बाद नहाकर वापस आई तब घर में लड़की नही थी बिना बताए घर से कही चली गई है। तब दोनो आसपास के गांव एवं रिश्तेदार के यहां पता तालाश लड़की का कहीं पता नही चला।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480